

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

LCMS
2022

मु. नं.- 21/22

मुथरी बनाम नरसी वगैरह

किस्ममुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 09 जा.दिवानी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

.....बनाम.....

मु.नं.

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म

07.07.2022

यह प्रार्थना वाजदायरी प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश सिंह ने प्रस्तुत की। वकील प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी. पर हमने बहस और पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के विवरण के दौरान दिनांक 06.05.2022 के न्यायालय के आदेश को अपास्त करवा कर अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को पुनः दर्ज करने हेतु पेश किया है एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्दर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने पर अपनी अनुपस्थिति का संतोषपद कारण बताया है। जो स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र नियम 9 आदेश 9 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है और न्यायालय के आदेश दिनांक 06.05.2022 को अपास्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को पुनः दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)